खण्ड: 3, अंक: 05 मई 2020

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

प्रवासी एवं प्रवासन: समस्याएँ व संभावनाएँ

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2020

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

प्रवासी एवं प्रवासनः समस्याएँ व संभावनाएँ

अनुक्रमिका

संपादकीय		i-ii
1. जीवन के लिए प्रवासन और प्रवासी का जीवन	– डॉ० अभिषेक नाथ	1–4
2. प्रवासी और प्रवासः समस्याएँ और संभावना	– राकेश रंजन	5–7
3. प्रवासी एवं प्रवासनः समस्याएं व संभावनाएं	– श्रीमती शारदा चौधरी	8–11
4. प्रवासन का संकटः एक व्यापक दृष्टिकोण	– पंकज	12–15
5. आंतरिक प्रवासी जीवन का मनोविश्लेशणात्मक अध्ययन	– सुश्री जगवती	16–18
6. प्रवासी– प्रवासनः भारतीय दृष्टिकोण से	– प्रीति यादव	19–22
7. भारत में प्रवासियों की स्थितिः एक मौलिक विशलेषण	– चित्रा राजौरा	23–25
8. कोरोना संकट में मजदूरों के समक्ष चुनौतियां	– डॉ० सीमा माथुर	26–28
9. प्रवासी मजदूरों का लैंगिक परिप्रेक्ष्यः स्वदेशी से विदेशी	– रजनी	29–31
10. प्रवासी मजदूर व रोजगार	– प्रियंका बारगल	32–34
11. प्रवासन और उत्तर बिहार	– निशा कुमारी	35–37
12. कोविड–19ः प्रवासी श्रमिक समूह एवं प्रवासन और अभिशासन	– बेबी तबस्सुम	38–41

सम्पादकीय

सहयोग, समन्वय एवं संकलन के भाव से संश्लेषण के रुप में एक हिन्दी शोध पत्रिका का विचार तथा उसका निरंतर प्रकाशन केन्द्र की अभूतपूर्व उपलब्धियों में से एक विशिष्ट उपलब्धि रही है। अगस्त 2018 से मई 2020 तक शोध पत्रिका की निरंतरता न केवल उसकी समसामयिकता की परिचायक है अपितु शोध के प्रति हमारे अनवरत प्रयास एवं समर्पित संघर्ष का भी प्रकटीकरण है। इस शोध निरंतरता के क्रम में वर्ष 2020 के संश्लेषण के इस पंचम अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए हमें एक बार पुनः अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।

वर्ष 2020 के आरंभ से कोविड–19 तथा कोरोना के विकराल रुप ने धीरे–धीरे संपूर्ण विश्व को अपने संक्रमण से ग्रसित कर दिया। इस संकट ने समस्त विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं मानवीय व्यवस्था को पूर्णतया ध्वस्त कर दिया। भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये विभिन्न प्रयासों ने अनन्य समस्याओं के साथ–साथ प्रवासन एवं पलायन के रुप में प्रवासियों की विकट स्थिति को भी दृष्टिगोचर किया।

वैश्विकरण में ग्राम्य से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायित प्रवासियों को जहाँ एक ओर शहरों ने आश्रय देने से मना कर दिया वहीं उनकी घर वापसी के अंतर्गत संघर्ष ने विविध समस्याओं को जन्म दिया। अनियमित एवं बाध्यकारी पलायन से कई प्रवासियों को कोरोना के कहर से कम अपितु पलायन के जहर से अधिक क्षति हुई। लॉकडाउन के इस चरण में प्रवासियों की आकस्मिक मृत्यु तथा उनकी विकट समस्याओं ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों की प्रवासी श्रमिकों के प्रति नियत एवं नीतियों को एक बार पुनः खोखला कर दिया।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'प्रवासी एवं प्रवासनः समस्याएँ व संभावनाएँ' विषय पर लेख आमंत्रित किये। बारह उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ प्रवासियों की समस्याओं तथा उनके समाधान की विभिन्न संभावनाओं को विश्लेषित करने के प्रयास को भी इंगित कर रहे हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं जो उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रद्रशित करते हैं।

वर्ष 2020 के संश्लेषण के इस मई माह के पंचम अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही हम जून माह के अपने षष्ठम समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

मंगलवार, 7 जुलाई 2020

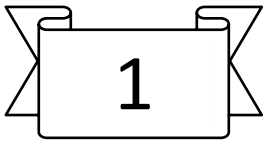

जीवन के लिए प्रवासन और प्रवासी का जीवन

डॉ० अभिषेक नाथ

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एम.एल.टी. कॉलेज, सहरसा, बी.एन.एम.यू, बिहार

प्रवासन और प्रवासी का विश्लेषण इस आलेख में कोरोना काल में भारत में उपजी परिस्थितियों के सन्दर्भ में की गई है। लेखक का मानना है कि उपरोक्त परिस्थितियों में मेजबान और मेहमान राज्यों की इस सन्दर्भ में व्यव्हार ने यह स्पष्ट किया है कि दोनों ही राज्य प्रवसन और प्रवासियों से प्राप्त लाभ का तो उपभोग करना चाहते है लेकिन इनके जीवन से सम्बंधित जिम्मेवारी को उठाना नहों चाहते। परिणामस्वरूप कोरोना काल में ये प्रवासी एक अभिसप्त जीवन को जीने को मजबूर है जिनकी चिंता राज्यों को केवल बयानों, घोषणाओं और नीतियों तक सिमटी हुई है जो जमीनी हकीकत से काफी दूर है जिसका प्रत्यक्ष दर्शन इस दौरान हुआ है।

बावजूद इसके कि मानव सभ्यताओं के विकास में मानव के एक महाद्वीप से अन्य महाद्वीपों की तरफ प्रवसन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस प्रवसन को नियंत्रित करने के लिए वीसा और पासपोर्ट की व्यवस्था को राष्ट्र–राज्यों ने शुरू कुया जिसके पीछे मुख्य विचार आधुनिक राज्यों की अपनी नागरिकों की खुशहाली को सुनिशिचित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी को माना गया। यह भी ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के पुरजोर प्रचार प्रसार के वावजूद जहाँ वस्तुओ और मुद्रा के मुक्त आवाजाही को तो अनुमति दी गई लेकिन श्रम और श्रमिकों के प्रति ऐसी ही नीति केवल कागजी बात ही रही जिसके पीछे भी विकसित देशों के अपनी उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने का नजरिया देखा जा सकता है। जहाँ एक तरफ उच्च श्रेणी के पेशेवरों के प्रवसन को तो स्वीकार किया जाता है वही अकुशल श्रम के प्रवसन को हर संभव प्रयास कर रोका जाता है। स्पष्ट है कि इसके पीछे प्रवसन से होने वाले लाभ को स्वीकार करने और जिम्मेदारिओं से इंकार करना है।

भारत एक राज्यों का संघ है न कि संघात्मक राज्य। विभिन्न प्रान्तों के बीच नागरिकों की आवाजाही, व्यापार और निवास की स्वतंत्रता है, कुछ प्रान्त और जनजातीय जिले इसके अपवाद है। भारत में राशन कार्ड और वोटर कार्ड स्थानीय निवास के लिए दो महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

प्रथम गरीबों के लिए हर महीने आवश्यक अनाज सरकारी सहायता के रूप में उपलब्ध करता है वही दूसरा राजनीतिक अधिकार जिसे वोट देने का अधिकार कहना ज्यादा उचित है, उपलब्ध करता है। ये दोनों सामयिक प्रवासिओं के लिए कोई लाभ नहीं दे पाते क्योंकि वे प्रवास स्थल के स्थायी निवासी नहीं होते। यह चर्चा इसलिए महतवपूर्ण है क्योंकि यह प्रवासियों के आर्थिक और राजनीतिक हैसियत को प्रदर्शित करती है।

भारत में अंतर्राज्यीय स्तर पर बड़े पैमाने पर लोगों का प्रवास रोजगार, शिक्षा और विवाहिक संबंधों के कारण होता है। और इससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पर अंतरा–राज्यीय प्रवसन होता है। जैसा कि 2001 और 2011 के जनगणना आंकड़ों से पता चलता है। मुंबई, बंग्लौर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जैसे महानगरों में राज्य के अन्य भागों से आये प्रवासियों की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा है। लेकिन फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अन्य राज्यों से भी लोग इन महानगरों में आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए आते है।

पंजाब और हरियाणा के विकास में प्रवासी मजदूरों के योगदान, सूरत में हीरा चमकाने में ओड़िसा के प्रवासी श्रमिको के योगदान, मुंबई और चेन्नई के आस–पास कपडा उधोग के विकास और महानगरों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों को संभव बनाने में इन मजदूरों के योगदान को कमतर नहीं कहा जा सकता। यह प्रवसन एक अच्छे जीवन से अलग एक जीविकोपार्जन का साधन और जीवन को बचाए रखने के लिए प्रवसन जायदा है। इन महत्वपूर्ण योगदानो के बावजुद यदि इन प्रवासिओं के मेहमान राज्य या नगर में जीवन की बात करें तो इन महानगरों की गन्दी बस्तियों और इसमें सुविधाओं से विहीन जीवन निर्वाह के लिए संघर्षरत परिवारों का जीवन दिखाई देता है। बड़े पैमाने पर ऐसे प्रवासी अपना पुरा जीवन फूटपाथ पर बिता देते है। मुंबई में धारावी एक ऐसी ही सुविधाविहीन बस्ती है। स्पष्ट है कि इन प्रवासी मजदूरों के योगदान के अनुपात में इनके लिए सुविधाओं की जिम्मेवारी किसी नगर नियोजन और राज्यों की नीतिओं में नही होता या सिर्फ कागजी होता है। अपने गृह राज्य से दूर ना ये सरकारी नीतियों का फायदा उठा पाते है नही राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल ही कर पाते है।

दूसरी तरफ इन प्रवासिओं को राज्य के संसाधनों पर दबाव, नौकरियों छिनने वाला और राजनीतिक हिंसा का भी शिकार होना पड़ता है। मुंबई और असम में प्रवासिओं के खिलाफ ऐसे आन्दोलन और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनके खिलाफ हिंसा होती रही है।

उपरोक्त चर्चा के आलोक में कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपने प्रवास स्थल पर बिना आजीविका के निवास एक बड़ी चुनौती बन जाती है। घर जाने की आतुरता लेकिन चाहे लौकडाउन का निर्णय हो या घर भेजने के लिए उचित व्यवस्था इनमे इनकी जीवन की सुरक्षा और मानव अधिकारों के प्रति संवेदनहीनता और जिम्मेदारी का आभाव देखा जा सकता है।

वही दूसरी तरफ प्रवासियों का आर्थिक दृष्टि से संपन्न और कौशल संपन्न तबका भी है जो ऐसे किसी भी प्रभाव से अलग है। मुंबई की हिंदी फिल्म उधोग प्रवासी लोगों द्वारा ही संपन्न है। लेकिन शायद ही उन्हें कोई प्रवासी समझता है।

कोरोना काल से उपजी और उभरी सामाजिक और क्षेत्रीय विषमता ने कई महतव्पूर्ण प्रश्नों को जन्म दिया है। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी कई राज्य अपने लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए उचित व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? क्यों आर्थिक, शैक्षिणक और स्वास्थ्य आदि सुविधाएँ कुछ बड़े शहरों तक केंद्रीकृत और सीमित है? क्यों प्रवासी मजदूरों के लिए गरिमापूर्ण जीवनयोग्य व्यवस्था राज्य नीतिओं का भाग नहीं है? सार्वभौमिक राशन, स्वास्थ्य, बाल–टीकाकरण, रहने के लिए एक न्यूनतम स्तर जैसी उपाय प्रवासी मजदूरों के लिए एक महतवपूर्ण बदलाव के आयाम हो सकते है जब तक की गृह राज्य अपने नागरिकों की जीवन और आजीविका जैसी मूलभूत सुविधा की व्यवस्था ना कर ले।

2011 की जनगणना यह प्रदर्शित करती है कि पिछले दशक में नगरों और खास कर महानगरों की जनसँख्या तेजी से बढ़ी है जो पूर्व की गाँव से छाटे नगरों, छोटे नगरों से बड़े नगरों और महानगरों की तरफ प्रवसन के ट्रेंड से अलग है जो यह प्रदर्शित करता है कि छोटे नगरों में भी काम के आभाव और कृषि क्षेत्र में एक लम्बे समय से विकासहीनता के कारण ग्रामीण जनसँख्या सीधे महानगरों का रुख कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान लौकडाउन होने के बाद यह तथ्य उजागर हुई कि कितने बड़े पैमाने पर दिहाड़ी, अकुशल और अर्ध–कुशल मजदूर इन महानगरों में आजीविका के लिए प्रवास कर रहे है। दूसरी तरफ गाँव में रह रहा परिवार भी इन्ही पर आश्रित है। कोरोना काल की इस गंभीर परिस्थति में आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तनाव इन प्रवासियों के जीवन के अभिन्नता को प्रदर्शित करती है दूसरी तरफ राज्य और सरकारी मशीनरी की अक्षमता और संवेदनहीनता को भी उजागर करती है।

यह इस बात को भी सोचने को मजबूर करती है कि आधुनिक राज्य जो नागरिकों की सहमति पर आधारित है और जो नागरिकों के जीवन और खुशहाली की सुरक्षा से वैधता प्राप्त करता है किस प्रकार अपने इस दावे को बरकरार रख सकता है।

♦♦♦♦♦

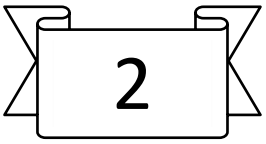

2

प्रवासी और प्रवास : समस्याएँ और संभावना

राकेश रंजन

शोधार्थी, MMA Jauhar Academy of Internal Studies] **जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय**

प्रवास आदिकाल से होता आ रहा है इसके लिए साधारणतः दो कारण होते हैं धक्का कारक (Push factor), खिंचाव कारक (Pull factor) जब कोई समूह और व्यक्ति किसी मजबूरीवश अपने स्थान को छोड़ता है उसे धक्का कारक प्रवास कहा जाता है तथा जब कोई समूह या व्यक्ति किसी आकर्षण में आकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो इसे खिंचाव प्रवास कहा जाता है। कोविड–19 वैश्विक महामारी की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को किया इसके लगभग 15 दिन बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने 24 मार्च 2020 को तालाबंदी की घोषणा समूचे देश के लिए 21 दिनों के लिए प्रारम्भ में किया गया इसे बाद में बढ़ाया गया और यह आज तक जारी है। इस घोषणा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी काम करने वालों को हटाया न जाए तथा मजदूरों को अपनी मजदूरी दिया जाय तथा जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है वहीं रहे उसके घर का द्वार ही उसकी लक्ष्मण रेखा है।

परंतु तालाबंदी के बाद काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को मजदूरी नहीं दिया गया तथा लाखों मजदूरों के काम चले जाने के कारण लाखों मजदूर पैदल, साईकिल से, ट्रक से, बस से, ठेला से पलायन करने के लिए मजबूर हुए बाद में श्रमिक स्पेशल रेलवे द्वारा मजदूरों को आन्तरिक प्रवास कराया गया। इन आन्तरिक प्रवास के दौरान मजदूरों को भोजन, पानी, दवाईयों का ध्यान नहीं रखा गया जा सका। कई मजदूरों को अपना जीवन भी आन्तरिक प्रवास के दौरान गंवाना पड़ा। इस आन्तरिक प्रवास के दौरान रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर लम्बी–लम्बी कतारें देखी गयी जहाँ सामाजिक दूरी या शारीरिक दूरी का अभाव था जो एक अव्यवस्था का परिचायक था।

भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आन्तरिक प्रवासी मजदूरों की संख्या 14 करोड़ थी। दूसरे स्रोतों से आयी जानकारी के अनुसार अब तक भारत में प्रवासी मजदूरों की संख्या 23 करोड़ हो गयी है तालाबंदी के दौरान इन प्रवासी मजदूरों को 1000–1500 किलोमीटर पैदल चलकर घर जाना पड़ा। बिना जूता–चप्पल के चलने के कारण इनके पैरों में छाले पड़ गये तथा

पुलिस बल द्वारा कई जगह प्रताड़ित किया गया तथा इन पर लाठी मारा गया। इस दौरान इन्हें भोजन, पानी, स्वास्थ्य की बड़ी समस्या झेलनी पड़ी। रास्ते में गैर सरकारी संस्था, समाज के धनी तथा रहमदिल लागों ने इनको भोजन, पानी कुछ मात्रा में दिया गया। मुख्यत मजदूरों का पलायन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, बंगाल, मध्यप्रदेश आदि राज्यों से विकसित राज्यों – पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात आदि राज्यों में होता है। तालाबन्दी के दौरान इनका पुनर्वास में क्वारेंटाइन की समस्या भी आयी। इनके क्वारेंटाइन के लिए विभिन्न सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों तथा पंचायत भवन में व्यवस्था किया गया था इसमें भी सुविधाओं का अभाव नजर आया। श्रमिक विशेष रेलवे जो चलाया गया उसमें से कुछ ट्रेन काफी लेट चलने की शिकायत आयी तथा कुछ ट्रेन अपने गन्तव्य पर पहुँचने के बदले दूसरे गन्तव्य पर पहुँच गयी। देश का उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी मजदूरों की समस्या को स्वयं संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि मजदूरों को 15 दिनों में घर पहुँचा दिया जाए जबकि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय काफी देर से आया माल्म पड़ता है। प्रवासी मजदूरों को 54 दिन वेतन दिये जाने के बारे में भी निर्णय दिया है कि उद्योग जगत तथा प्रवासी मजदूर मिलकर रास्ता निकाल ले।

प्रवासी मजदूर जो बड़े पैमाने पर अपने घरों में लौट, उनके सामने रोजगार की बड़ी चुनौती है मनरेगा के द्वारा रोजगार दने की बात सरकार कर रही है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है तथा इसकी दैनिक मजदूरी भी कम है। केन्द्र सरकार के द्वारा 1.7 लाख करोड़ की राहत पैकेज मजदूरों और किसानों के लिए दिया गया है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है तथा सभी प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा मिला भी नहीं है।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार बेरोजगारी का दर देश में 23 प्रतिशत के ऊपर चली गयी है। दूसरे स्रोतों से आयी खबरों के अनुसार भारत में बेरोजगारी 50 प्रतिशत के आस–पास है, इसका अर्थ यह है कि निकट भविष्य में मजदूरों को पर्याप्त काम प्राप्त नहीं होगा, जिससे भारत में गरीबी बढ़ेगी तथा लोगों का जीवन स्तर नीचे गिरेगा जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या तथा अन्य समस्याएँ बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर भी नीचे गिरेगा। कोविड–19 के दौरान 32 प्रतिशत लोगों की आय घटी है।

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए भारत सरकार को इन मजदूरों के लिए कोविड–19 के दौरान एक निश्चित आय सुनिश्चित करना चाहिए जिससे भारत की मंदी दूर होगी तथा भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। भारत के प्रवासी मजदूरों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीति सुरक्षा की आवश्यकता है।

सरकार इन प्रवासी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना चलानी चाहिए तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए एक फण्ड बनाया जाय जो संकट के समय इनको सहायता प्रदान करे ताकि इनकी जीवन की अनिश्चितता कुछ हद तक समाप्त हो सके। राजनीतिक सुरक्षा के तहत इन्हें राजनीति के मुख्य धारा से जोड़ा जाय।

भारत में गरीबी रेखा से नीचे रखने वाले व्यक्ति का प्रति पाँच साल में मात्र 10 रुपये व्यक्तिगत आय बढ़ता है जबकि प्रवासी मजदूरों की व्यक्तिगत आय पाँच साल में मात्र 50 रुपये बढ़ती है। दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले तथा बड़े उद्योगों में काम करने वालों की आय 5 सालों में 70–80 प्रतिशत बढ़ जाती है। इससे समाज में असमानता बढ़ रही है। एक ओर मजदूरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है तो दूसरी ओर कुछ लोग धनवान होते जा रहे हैं, इससे समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। यह कुछ लोगों में निराशा तथा अवसाद बढ़ रहा है। मजदूर कानूनों में सुधार के नाम पर भी मजदूरों के पक्ष में बने नियम हटाये जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में मजदूरों की स्थिति और खराब होने की संभावना है। वैश्वीकरण का प्रभाव भी प्रवासी मजदूरों पर पड़ रहा है। मशीनीकरण के कारण दिन–प्रतिदिन रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं एक मशीन कई मजदूरों का काम आसानी से तथा कम समय में कर देती है। इन मजदूरों के पास तकनीक का भी अभाव है।

तकनीक तथा शिक्षा का अभाव होने के कारण इन प्रवासी मजदूरों को अच्छा काम नहीं मिल पाता है। इन मजदूरों को 365 दिन काम भी नहीं मिलता है इससे इनकी आय कम होती है और जीवन स्तर नीचे होता है।

इन सब कारणों से आन्तरिक प्रवासी मजदूरों के सामने आने वाले समय में चुनौतियाँ और बढ़ेंगी। कोविड–19 संकट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है जिसके कारण इन प्रवासी मजदूरों की समस्या तथा चुनौतियाँ और बढ़ने की संभावना है। प्रवासी मजदूरों के प्रतिदिन की मजदूरी घटने की संभावना है तथा नियमित रूप से काम नहीं मिलने की संभावना है जिसके कारण प्रवासी मजदूरों की स्थिति आने वाले समय में अच्छी होने की संभावना बहुत कम है। प्रवासी मजदूरों का जीवन स्तर नीचे गिरेगा तथा अशिक्षा तथा गरीबी संकट इनके बीच और गहरा होगा।

♦♦♦♦♦

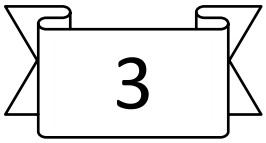

3

प्रवासी एवं प्रवासनः समस्याएं व संभावनाएं

श्रीमती शारदा चौधरी

शोधार्थी, राजकीय उच्च अध्ययन संस्थान, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राजस्थान

संविधान के अनुच्छेद–19 के तहत प्रत्येक नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन कर सकता है जहां पर वह अपने कौशलों के माध्यम से अपनी आय व सामाजिक स्तर को बेहतर बनाने की प्रत्याशा में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपनी आजीविका का निर्वहन कर सकता है। जब व्यक्ति अपने ग्राम, जिला एवं राज्य में समुचित श्रम का पारिश्रमिक नहीं पाता है तथा कई बार संकोच के कारण भी कार्य नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वह दूसरे स्थान पर कार्य करने के लिए प्रवासन को एक विकल्प के रुप में देखता है।

भारत में संपूर्ण जनसंख्या का 30 प्रतिशत भाग प्रवासियों के रुप में विद्यमान है जिसमें पुरुष वर्ग का प्रतिशत महिलाओं से ज्यादा है। अतः जब कोई नागरिक मजदूरी करने, गृह निर्माण, औद्योगिक विकास, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, गन्ना कटाई, मछली पकड़ना आदि में अपनी भूमिका निभाने के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाता है तो वह प्रवासी कहलाता है और वहां रहकर समस्त कार्य जैसे रहन–सहन ,खान–पान, आचार –विचार विनिमय ,कौशल आदि के तौर तरीकों को प्रवासन कहा जाता है।

भारत में प्रवासियों की संख्या निरंतर बढ़ने का मुख्य कारण अपने स्थानीय परिवेश से भयभीत होना, लड़ाई झगड़े से बचना, स्वयं को सुरक्षित रखना, कर्जदार होना, खाद्यान्न की समस्या, भौतिक संसाधनों का अभाव, मनमाफिक रोजगार नहीं मिलना एवं बेहतर जिंदगी बनाने की प्रत्याशा है।

प्रवासी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं– 1. अल्पकालीन 2. दीर्घकालीन

प्रस्तुत लेख में प्रवासन की समस्याएं

1.आवास की समस्याः– प्रवासी रोजगार की चाह में अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान के लिए निकल तो पड़ता है लेकिन वहां पर उसके रहने के लिए कोई पुख्ता आवासीय इंतजाम नहीं

होने के कारण उसको सड़क किनारे ,खाली प्लॉट और कच्ची बस्ती में अपना आशियाना बना कर रहना पड़ता है। जहां पर वह सर्दी ,वर्षा की मार झेलता हुआ रोजगार करने के लिए दृढ़ संकलपित रहता है।

2. न्यूनतम मजदूरी की समस्याः– निर्धारित मानकों के अनुसार प्रवासियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का कोई मापदंड नहीं होने के कारण उनको कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी न्यूनतम दैनिक मानदेय में कार्य करना पड़ता है।

3. खाद्यान्न की समस्या :– शुरुआती दौर में अनाज व अन्य खाद्य सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

4. सार्वजनिक सुलभ शौचालयों का अभाव :– प्रवासी स्थल पर सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव होने के कारण प्रवासियों को अपने दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसका प्रभाव उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।

5.बच्चों की समुचित शिक्षा का अभाव :– संविधान के अनुच्छेद –45 के तहत एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। किंतु विडंबना है कि प्रवासियों के बच्चे बुनियादी शिक्षा से वंचित रहते हैं।

6.स्वास्थ्य सुविधाओं का अभावः– प्रवासियों के बीमार एवं कार्य स्थल पर दुर्घटना ग्रस्त होने पर तात्कालिक चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है और इनका असहाय नागरिक के रुप में देखा जा सकता है।

7.बैंकिंग सुविधाओं का अभावः– अधिकांश प्रवासी जनसंख्या अशिक्षित होने के कारण बैंकिंग सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाती है अर्थात अथक परिश्रम करने के बाद भी वह गरीब का गरीब ही बना रहता है क्योंकि उनका उद्देश्य दैनिक कमाना और खर्च कर देना पूंजी को निवेश नहीं करना होता है।

8.निश्चित सुरक्षा का अभाव बनाम जोखिम :– प्रवासी लोग अपने रहने के स्थान से दूर कार्य स्थलों पर कार्य करने के लिए जाते हैं। इनके लिए कोई सुरक्षा गारंटी नहीं होने के कारण इनका स्वयं और बच्चों का जीवन जोखिम भरा होता है।

9 .विस्थापन भत्ता की समस्याः– प्रवासियों की यह विकट समस्या है जिसका उदाहरण कोविड–19 में लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला क्योंकि कार्य अभाव मैं इनके सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई और तात्कालिक रोजगार तथा सरकारी तंत्र द्वारा विस्थापन भत्ते की व्यवस्था ना होने के कारण इनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है।

10.स्वच्छ पीने के जल का अभाव :– प्रवासियों को शुद्ध जल नसीब नहीं हो पाता है जिसके परिणाम स्वरुप उल्टी–दस्त, अतिसार, पेचिश ,कृमि रोग आदि बीमारियों के शिकार होते हैं।

प्रवासी एवं प्रवासन की संभावनाएंः–

भारत से करीब 112 देशों में हमारे नागरिक काम की तलाश में प्रवासन करते हैं। भारत के राज्यों में तो उनकी समस्या का एक सीमा तक समाधान हो जाता है लेकिन विदेशी धरती व खाड़ी देशों में काम करने वाले कामगारों के साथ काफी नाइंसाफी होती है। अतः प्रवासियों में हम निम्न संभावनाओं पर दृष्टि डाल सकते हैं :

1.कौशलों का आदान–प्रदानः– प्रत्येक देश, राज्य में अलग–अलग कौशलों के कामगार होते हैं। एक योग्य कुशल प्रवासी अपने कौशलों का परिचय देता हुआ वहां के कामगारों से स्वयं भी सीखता है जो एक अशिक्षित प्रवासी के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होता है।

2.देश के घरेलू उत्पाद में योगदान :–देश का शिक्षित और सेवा वर्ग भौतिक सुविधाओं का उपभोग अशिक्षित और कुशल कारीगरों की कुशलता के कारण ही कर पाता है अतः सरकारी तंत्र इस प्रकार की सूचियां निर्मित करें जिससे कुशल प्रवासी देश के घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दे सकें।

3.आर्थिक उन्नति में सहायकः– यदि प्रवासियों की कार्य करने की पूर्व नियोजित योजना हो तो वे स्वयं के आर्थिक विकास के साथ–साथ देश के आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने मे अपनी अहम भूमिका निर्वहन कर सकते हैं।

4.देश के समग्र विकास में सहायक :– यह सच है कि अभाव में व्यक्ति हर कौशल सीख जाता है अतः स्थानीय सरकारों को अपने श्रमिकों की पहचान कर उनके कौशलों के अनुरुप एक कार्ययोजना हो ताकि उनको समय पर रोजगार मिल सके और वे उत्साह से कार्य करते हुए अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

5. प्रवासी के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था में सुनहरी संभावनाः– शिक्षा का महत्व था ,रहा है और रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है ऐसे में प्रवासियों के बच्चों के लिए शिक्षा की ठोस नियोजित व्यवस्था हो तो कोई कोई बालक और बालिका अशिक्षित नहीं रहने से उनको अनुवांशिक प्रवासी नहीं बनना पड़ेगा और शिक्षा केवल एक व्यक्ति का विकास नहीं है बल्कि संपूर्ण भारत का विकास है।

आमतौर पर प्रवासी अदृश्य जनसंख्या के रुप में रहने के कारण इनकी कुशलता और योग्यताओं का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है अतः कामगारों की कमी वाले स्थानों को चिन्हित करके निश्चित जनसंख्या तक वहां पर प्रवासी कामगार मुहैया करवा कर वहां के सामाजिक– आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सकती है हमारे देश में अदृश्य जनसंख्या के लिए ठोस योजनाओं का अभाव है जिसमें प्रवासी जनसंख्या सबसे संवेदनशील मुद्दा है और यह आज भी एक हाशिए पर जीवन निर्वहन करने को मजबूर है। अतः भारतीय श्रम कानून में आवश्यक संशोधन करके सरकारी तंत्र द्वारा चलने वाली समस्त गरीब तबके की योजनाओं का लाभ प्रत्येक प्रवासी का मिल सके यह सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है इसके साथ ही प्रतिवर्ष होने वाले भारतीय प्रवासी सम्मेलन में सभी प्रकार के प्रवासियों को एक मंच पर लाने की पहल करनी चाहिए।

♦♦♦♦♦

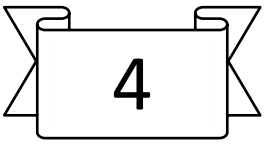

प्रवासन का संकटः एक व्यापक दृष्टिकोण

पंकज

शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय

मार्च माह के अंतिम सप्ताह में करोना महामारी के संकट को देखते हुए मोदी सरकार के द्वारा देशव्यापी बंद की घोषणा की गई। परंतु यह संकट केवल मानव स्वास्थ्य केंद्रित ही नहीं रहा बल्कि समाज के ढांचे से लेकर आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा और भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की पोल विश्व के सामने खोल कर रख दी। महामारी के समानांतर अन्य संकट भी उत्पन्न होने लगेद्य जिसमें से एक प्रवासी श्रमिकों का प्रवासन एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। श्रमिकों के प्रवासन ने न केवल सरकार पर दबाव बनाया बल्कि इनकी विभिन्न समस्याओं को हमारे सामने लाकर रख दिया। परंतु दुर्भाग्यशाली विषय यह है कि अधिकतर बुद्धिजीवियों के द्वारा इनकी अल्पकालीन समस्या पर ही ध्यान केंद्रित किया गया। जबकि जैसे ही प्रवासन की समस्या कम होने लगी तब इनके दीर्घकालीन मुद्दों पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इसलिए मेरे इस लेख का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की दीर्घकालीन समस्याओं और दुविधाओं के कारणों पर प्रकाश डालना है।

सामाजिक–आर्थिक दुविधाएं

आर्थिक पक्ष प्रवासन के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। अधिकतर श्रमिक उन राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल) से आते हैं जो आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसका कारण यहां रोजगार के पर्याप्त साधनों का अभाव है। इन श्रमिकों को आर्थिक रुप से संपन्न राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की तरफ प्रवास करना पड़ता है। जहां कृषि और उद्योग में श्रमिकों की बड़ी संख्या में जरूरत रहती है। ये क्षेत्र एक विशेष आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे है। जिसमे कृषि और उद्योगों में मशीनीकरण बढ़ने से कौशल श्रमिकों की मांग बढ़ी है। परंतु प्रवासी श्रमिक का बड़ा वर्ग अकुशल है। जिससे इनकी माग में कमी आई हैद्य इसलिए कुशलता के अभाव में श्रम की दर में कमी आने के साथ ही स्थानीय लोग इन्हें बोझ की भांति व्यवहार करते हैं। द्वितीय, आर्थिक विकास समयकालीन

प्रतिमान केंद्रित प्रकृति पर आधारित है। जिसमे संसाधनों, रोजगार के अवसर और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को विशेष क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है। जिसके कारण प्रवासी श्रमिकों ये क्षेत्र अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करते है।

इसी कारण दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद आदि महानगरीय क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। तृतीय, करोना काल के संकट ने अव्यवस्थित भारतीय शहरीकरण की प्रक्रिया के विकृत स्वरूप को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जिसमें न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि मूलभूत सुविधाएं श्रमिकों को प्रदान करना चुनौती का पर्याय बन गया है। चतुर्थ, उदारीकरण पर आधारित आर्थिक प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि इसमें अनुत्पादक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। जिसमें श्रमवहीन व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पूंजी का संचय करता रहता है और इस अर्थव्यवस्था को ओर आगे बढ़ाता है। जिसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव श्रमिक विशेषकर प्रवासी श्रमिकों पर पड़ता है। क्योंकि वह अधिकतर समय परिश्रम करने पर भी कम आय प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे महानगर में प्रायः मकान मालिक अपने घर को किराए पर देकर निरंतर बिना श्रम के पूंजी संचय करते करते रहते हैं। यह अर्थव्यवस्था उत्पादक श्रम या अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव बना देती है। प्रवासी श्रमिकों पर यह दबाव दोहरा होता है। एक ओर तो उनको यहां के महंगे खर्चों का बोझ उठाना पड़ता है। दूसरा परिवार के जीवनयापन के लिए पूंजी की बचत करनी पड़ती है। संकटकाल में यह अर्थव्यवस्था और शहरीकरण की प्रक्रिया एक नए संकट को जन्म देती है। जिसका प्रभाव प्रवासी श्रमिकों केप्रवासन के रूप में सामने आता है।

राजनीतिक दुविधा

कोरोना महामारी में प्रवासी श्रमिकों के प्रवासन के संकट के आधार पर मोदी सरकार की कार्यनीति का मूल्यांकन करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार इसमें विभिन्न स्तरों पर असफल रही है। स्वयं माननीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस कमी को स्वीकार किया है। परंतु इसका यह अभिप्राय भी नहीं है कि पूर्वकालीन सरकारों और राज्य सरकारों का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। प्रवासी श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों से आती हैं। इसलिए यहां प्रश्न बनता है कि 1990 के दशक से आरंभ सामाजिक न्याय की राजनीति ने प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक– आर्थिक रूप से स्वालंबन कर पाई है। प्रवासी श्रमिकों की निरंतर बड़े शहरों और संपन्न राज्यों की तरफ बढ़ता प्रवास इस तथ्य का साक्षी है कि इन राज्यों में सामाजिक न्याय के आधार पर केवल जातीय लामबंदी और

विशेष वंशो को ही इसका लाभ प्राप्त हो पाया है। जबकि आम जनमानस मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी वंचित रहा है। दूसरा इन राज्यों में सामंतवादी ढांचा आज भी बहुत शक्तिशाली है। जिसका कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों का असफल होना है। जिसमें अधिकतर भू स्वामित्व समाज के उच्च जातियों समूह के अधीन ही है। ग्रामीण समाज में सामंतवादी ढांचा मजबूत होने के कारण जनसंख्या का बड़ा तबका भूमिहीन खेतिहर श्रमिक है। जो राज्य में पर्याप्त रोजगार उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवास के लिए मजबूर होता है। सामाजिक न्याय की राजनीति भू–स्वामित्व के संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन लाने में असफल रही है। जिसके कारण यह ढांचा आज भी वैसी ही स्थिति में बना हुआ है। दूसरी तरफ राज्य सरकार उद्योगों को भी अच्छे से विकसित नहीं कर पाई है। जिससे कृषि का विकल्प उद्योगों के रूप में प्राप्त हो सके। कोरोना महावारी ने प्रवासी श्रमिकों कि इस समस्या को प्रायः अन्य बुद्धिजीवियों के द्वारा समयकालीन स्थिति में भी अनदेखा किया है।

राजनीतिक दुविधा का अन्य स्वरूप प्रवासी श्रमिकों में राजनीतिक लामबंदी का अभाव है। भारत की कुल श्रमशक्ति का 80 प्रतिशत भाग प्रवासी श्रमिकों के रूप में है और भारत की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु प्रवासी श्रमिकों का अधिकतर कार्य असंगठित क्षेत्र में आता है। जिसके कारण यह अपने आप को एक संगठनात्मक शक्ति के रूप में नहीं डाल पाए हैं। जागरूकता के अभाव के साथ–साथ सामाजिक– आर्थिक और कार्यक्षेत्र स्तरीय विभाजन भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसके अलावा प्रायः यह देखने में आता है कि प्रवासी श्रमिक प्रवास के कारण अपने राज्य मं भी मत का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण संबंधित राज्य राजनीति में इनका योगदान नगण्य हो जाता है।

इसलिए राज्यस्तरीय नीति में इनको बहुत कम महत्व दिया जाता है। राजनीतिक पक्ष में तृतीय समस्या जनसांख्यिकीय समीकरण के परिवर्तन से संबंधित है। प्रवासी श्रमिकों का राजनीतिक प्रभाव महानगरीय राजनीति और पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्य की राजनीति में निरंतर बढ़ रहा है। जिसका कारण प्रवासी श्रमिकों के द्वारा इन राज्यों निवासिता ग्रहण करना है। परंतु यह एक नई समस्या को जन्म दे रहा है। स्थानीय राज्यों के निवासियों और श्रमिकों को प्रायः यह डर रहता है कि इसमें उनका राजनीति और अर्थव्यवस्था में योगदान निरंतर कम होता जा रहा है। कई यह डर हिंसात्मक रूप भी धारण कर लेता है। हाल ही के वर्षों में बिहार के प्रवासी श्रमिकों के प्रति दुर्व्यवहार की घटनाएं महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में निरंतर बढ़ रही हैं। दिल्ली की राजनीति में भी बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा गरम रहता है। इसीलिए भविष्यकाल में

प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं इन राज्यों में ओर बढ़ सकती हैं। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार को बड़ी सतर्कता से कार्य करने की आवश्यकता है।

अतः आज के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित विशिष्टजनों के द्वारा प्रवासी श्रमिकों की दीर्धकालीन समस्याओं का समाधान व्यापक परिप्रेक्ष्य पर आधारित समझ पर केंद्रित होना चाहिए।

♦♦♦♦♦

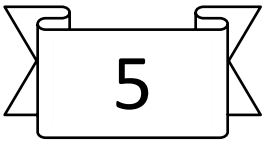

आंतरिक प्रवासी जीवन का मनोविश्लेशणात्मक अध्ययन

(भारत देश के विशेष संदर्भ में)

सुश्री जगवती

असिस्टैंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, श्रीटीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़, यू.पी.

जीवन को चलायमान रखने के लिए परिवर्तन को स्वीकार करना उस समय विशेष की आवश्यक शत होती है जिसकी परिधि में मनुष्य कैद रहता है। मनुष्य को कभी स्वेच्छा से तो कभी विभिन्न दबाववश अपनी जड़ों से अलग होकर नवीन परिवेष में अपने अस्तित्व के बीजों को आरोपित करना पड़ता है। अर्थात अपने वास को त्यागकर प्रवास को अपनाना पड़ता है। परंतु वास से प्रवास एक उपसर्ग की वृद्विमात्र जितना सीधा और स्पष्ट नहीं है। इस एक 'प्र' वर्ण रूपी गुह गुफा में अनेक सत्य सुखद–दुखद अनुभवों की तहों में लिपटे हुए हैं जिनका उद्घाटन अतिरिक्त निरीक्षण कौशल मांगता है।

विदित हो कि हम शैक्षिक पाठ्यक्रम में प्रवास को सामान्यतः जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना मानते हैं। इस सामान्य सा अर्थ देने वाली पंक्ति के गूढ़ार्थ को समझने के लिए प्रवासी जीवन जीने वाले व्यक्तियों का अवलोकन अपेक्षित है जिनमें उनके बाह्य परिवेश व आंतरिक परिवेश अर्थात मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। और ऐसा करके हम काफी हदतक प्रवासी एवं प्रवासन की समस्याओं को समझ सकते हैं। समस्या का ज्ञान हो जाना ही समाधान का कुछ सफर तय कर लेता है। संभव है कि इससे हम सही दिशा की ओर जा सकें।

प्रवासन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन अंग महत्वपूर्ण हैं। 'वास स्थान, प्रवास स्थान आर प्रवासी कहलाने वाला व्यक्ति विशेष। सतही दृष्टिकोण रखने वाले इसे अत्यंत हलके में ले सकते हैं कि क्या हुआ कोई इधर से उधर ही तो गया परंतु सत्य तो यह है कि प्रतिकर्ष से पार पाने के लिए तथा अपकष के लोभ संवरण में प्रवासी को विकट मानसिक उथल–पुथल से गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही उसके सम्मुख एक क्षेत्र की भिन्न संस्कृति से और वहाँ के लोगों से सामंजस्य बिठाने की चुनौती होती है। ऐसे में कुछ प्रवासी सकारात्मक परिणाम का भोग कर

पाते हैं तो कुछ अंत तक भी बेहतरी की खोज करते तथा जूझते हुए अपनी पूर्वावस्था से भी अधिक ऋणात्मक स्थिति में पहुँच जाते हैं।

प्रवास की एक विचारणीय बात यह भी है कि वह सदैव एक सा नहीं रहता या यूँ कहें कि प्रकृति के परिवर्तन वाल नियम से प्रवासन भी नहीं बच सकता। आमतौर पर किसी देश की जनगणना से प्राप्त सामग्री के आकलन से प्रवास के प्रसार को देखा जाता है। भारत देश में हम पवास को अबतक तीन तरंगों के रूप में पाते हैं। सबसे पहलो तरंग हमें वहाँ ब्रिटिशकाल में दिखाई देती है जहाँ ब्रिटिश शासकों द्वारा कुचक्रीय कृत्य करके निर्बल भारतीयों को श्रमिक बनाकर विदेषी जमीन पर भेजा जा रहा था। दूसरी तरंग के रूप में प्रवास प्रसार आज़ादी के बाद हुआ जब रोजागार की तलाश में असंख्य मनुष्यों को समीपवर्ती देशों में आर्थिक विपन्नता रूपी दानव से बचने के लिए जाते देखते हैं। और तीसरी तरंग के रूप में हम एक युग परिवर्तन होता हुआ पाते हैं अर्थात् – तकनीकी युग के आगमन। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने उच्च शिक्षा संपन्न व्यक्ति को वे अवसर प्रदान किए कि वह स्वयं उच्च जीवन स्तर के लोभ में गुणात्मक वृद्वि हेतु प्रवासी जीवन जीने को आतुर हो गया हैं।

ध्यातव्य है कि ये तीन धाराएँ तीन संकटों को चिहिन्त करती हैं। पहले में मौलिक अधिकार अर्थात जीने का अधिकार खतरे में था तो दूसरे में स्वतंत्रता के फल के परिणाम का संकट तथा तीसरे में तकनीकी प्रतिस्पर्धा के यग में योग्यता को भुनाने व श्रेष्ठ सिद्व होने के डायलेमा का संकट।

वास्तव में अबतक विदेशों में बसने वाले प्रवासी अर्थात् अंतर्राष्टीय प्रवासन को ही प्रवासी जीवन के रूप में देखने की कोशिश अधिक की गई है। एक देश के अपने लोगों द्वारा अंतर्राष्टीय स्तर पर विदेषी मुद्रा भंडार और आर्थिक संपन्नता के लुभावने रूप के कारण राजनीतिक स्तर पर अंतर्राष्टीय प्रवासी को पहचान देना इसका जीवंत उदाहरण है। परंतु संपूर्ण विश्व के भारतीय प्रवासी की तुलना में आंतरिक प्रवासन को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की वास्तविक मानवीय शक्ति पर नैतिकता के आधार पर भी ध्यान देना उचित ठहरता है। अपने राज्य, शहर, गाँव, कस्बे से श्रेष्ठ जीवन की खोज में निकला मन बाह्य तथा आंतरिक जैसे कितने ही विरोधों के मध्य संतलन और सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। किन दबावों को, झंझावातों का झेलता है इसको देखना भी आवश्यक है। जिस प्रकार बाह्य शरीर से कहीं ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है उसी प्रकार से किसी देश की सृदृढ़ता के लिए यहाँ के वासी और प्रवासियों के मध्य भेद खत्म करना आवश्यक है।

अपने ही देश की सीमा में रहते हुए तथा यहीं के निवासी होते हुए भी जब कोई 'प्रवासी' जैसे संबोधनों से पुकारता है तो उनके मन में पक्षपात की पैनी और गहरी कटार सी चल जाती है जिसकी पीड़ा का अनुमान कोई सरकार नहीं लगा सकती। इसलिए हमें समझना चाहितए कि एक ग्रमीण एक छोटी सी दुनिया से शहर का रूख करते हुए कोमल कल्पना व परिवार की जिम्मेदारी का कठोर सत्य दोनों ही साथ ले जाता है। वहीं एक छोटे शहर का व्यक्ति वर्तमान समय की तेज चाल को पकड़ने की कोशिश में बड शहर की ओर भागता है। इनमें से कुछ के ऊपर परिवार से भिन्न निर्णय लेने के कारण अपने को सही सिद्व करने का गहरा और तोड़ देने वाला दबाव होता है तो कहीं अपनी योग्यता को कार्यात्मक रूप से सफल करने की प्रतिस्पर्धा का भार। इसी प्रकार सीमित व्यक्तिगत साधनों मं असीमित सामाजिक संसाधनों का वर्तमान गति से दोहन करने की होड़, अपनी जन्मजात संस्कृति, भाषा, भाव, विचार को बचाए रखकर प्रवासी क्षेत्र की नवीन संस्कृति को ग्रहण करना आदि अनेक चुनौतीपूर्ण कृत्य आंतरिक प्रवासी को झेलने पड़ते हैं। इसी समय पर इन सबको राजनीतिक रूप से अनाथ होने की स्थिति से भी गुजरना पड़ जाए तो उसकी स्थिति अकथनीय अथवा अत्यंत दयनीय हो जाती है। वर्तमान समय में इस कथन की पुष्टि करते हुए अनेक उदाहरण भारत में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यह प्रवासियों के जीवन का बड़ा फलक है जहाँ क्षण–प्रतिक्षण कदम–कदम पर अनेक विपरीत परिस्थितियों को झेलता उनकी नियति हो जाती है। लेकिन एक प्रवासी मन जीवन पथ पर आशा की रौशनी में आगे बढ़ता रहता है। ऐसे समय पर जीव विज्ञान के 'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता पर खरे उतरने वाले ही अपने अस्तित्व को बचा लेते हैं और अन्य परिस्थितियों के गर्त में दब जाते हैं; जैसे सिद्वांत सही साबित होते हैं।

प्रवासियों के संबंध में आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके समस्त जीवन को दूर से चित्र की भांति केवल देखें ही नहीं बल्कि भावनाओं के धरातल पर मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए पूर्वाग्रह से मुक्त होकर उन्हें समझने का प्रयास करें ताकि हम प्रकृति के संतुलन के साथ–साथ अपने को भी संतुलित कर सकें।

♦♦♦♦♦

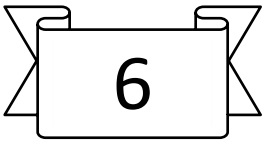

प्रवासी–प्रवासनः भारतीय दृष्टिकोण से

प्रीति यादव

प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान, दिल्ली शिक्षा निदेशालय

भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1915 में राष्ट्रपिता गांधीजी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से भारत की भूमि पर वापसी की गई थी। भारत के ''सबसे महान प्रवासी'' गांधीजी की वापसी ने गुलाम भारत से स्वतंत्र भारत का अध्याय पूर्ण कियाय अतः प्रवासी दिवस भारतीय प्रवासियों द्वारा राष्ट्रीय निर्माण को समर्पित योगदान का उत्सव है।

परंतु कोरोना काल ने इन प्रवासियों की असुरक्षा, अलगाव एवं अन्याय को प्रकट करके इनके योगदान के बदले एक सभ्य समाज की कृतघ्नता को दिखलाया है। भारत के विदेशी एवं घरेलू प्रवासी निरंतर राष्ट्रीय निर्माण मं अपना देश–गांव त्याग कर राष्ट्रीय सेवा में रत रहे ,परंतु आज आपदा की घड़ी में अपने आधारहीन भाग्य पर विलाप करना इनके परिश्रम का पारितोषक है य जो इनको आधुनिक समाज अर्पित कर रहा हैं। यदि हम प्रवासी पीड़ा को कोरोना का उत्पाद माने तो यह हमारी अज्ञानता है। यह प्रवासी समस्या असमानता एवं शोषण पर आधारित समाज में निरंतर विद्यमान रही है जिसे कोरोना संकट ने बस जग उजागर कर दिया है। इस प्रवासी पीड़ा के 'इतिहास से वर्तमान के विमर्श' हेतु गहन एवं बहु–पाक्षिक विश्लेषण की आवश्यकता हैय जिसको प्रवासी संस्कृति, अर्थनीति एवं राजनीति मे अन्वेषित करने का प्रयास किया गया है।

प्रवासन संस्कृति– आधुनिक शहर बनाम पिछड़े गांव

गांधीजी द्वारा कहा गया था ''यदि भारत को जानना है तो इसके गांव को जानो'' इस दर्शन का प्रयोग भारतीय प्रवासन संस्कृति को भी जानने के लिए किया जा सकता है। इससे प्रवासी संस्कृति से जुड़े क्या, क्यों और कब से संबंधित सवालों का उत्तर मिल पायेगा।

प्रवासन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने गृह/मूल स्थान को त्याग कर नवीन एवं अपरिचित स्थान की ओर प्रस्थान करता है। भारत में प्रवासन का व्यवस्थित चलन ब्रिटिश काल से विश्लेषित किया जा सकता है य जब ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बंधुआ मजदूरों

के रूप में श्रमिकों को चाय, कॉफी, टिंबर इत्यादि के बगानों में काम क लिए विदेश (अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिकी देश) एवं स्वदेश (पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर–पूर्व राज्य) के अपरिचित स्थलों पर भेजा जाता था। यह प्रक्रिया मालिक–नौकर के संबंध पर आधारित थी, जिसमें मजदूर के शोषण पर मालिक लाभ का भंडार संजोता। गिरिराज किशोर ने अपने उपन्यास ''पहला गिरमिटिया'' में ''भारत के महान प्रवासी महात्मा गांधी जी की अफ्रीकी प्रवासन की यात्रा का वर्णन किया है जो विदेश में एक भारतीय प्रवासी के साथ समाजिक, आर्थिक ,राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक शोषण का वर्णन करती है।''

भारतीय प्रवासन संस्कृति मुख्यतः दो मॉडल पर आधारित है। पहला विकासबद्ध प्रवासन एवं दूसरा विवशताबद्ध प्रवासन। शाब्दिक रूप से स्पष्ट होता है कि विकासबद्ध प्रवासन नए अवसरों एवं प्रगति की आशा पर केंद्रित होता हैय इसमें उच्च कौशल, बेहतर आजीविका एवं सुनहरे भविष्य की सुनिश्चित होती हैय जबकि विवशताबद्ध प्रवासन के अंतर्गत अनियोजित, अवांछित एवं आपातकालीन विस्थापन होता है जिसके पीछे असंतुष्ट परिस्थितियां एवं पारिस्थितिकी समस्याएं हो सकती है। **Global report on internal diisplacement, 2020** से स्पष्ट होता है कि भारत मे वर्ष 2019 में कुल 50 लाख जन आंतरिक रूप से विस्थापित हुएय कारण– बढ़ती जनसंख्या– जोखिम, सामाजिक–आर्थिक– राजनीतिक– पारिस्थितिक सुभेद्यता।

कोरोना काल ने सर्वाधिक संकट में उन प्रवासियों को डाला है जो विवशताबद्ध प्रवासित हुए। इस प्रवासन संस्कृति के पीछे उत्तरदायी घटक असमान एवं अनियोजित विकास है। जिसने भारत– इंडिया का संघर्ष उभारा य एक ओर बंजर, पिछड़े और जर्जर गांव दूसरी ओर चमक–दमक, आशा और प्रगति से सरोबार शहर। शहर की आधुनिकता और भौतिकता ने गांव पर दोहरा प्रहार किया है। ग्रामीण श्रमिक एवं संस्कृति का दोहन (ब्रिटिश द्वारा भारतीय ब्रेन ड्रेन सिद्धान्त पर आधारित– दादा भाई नारूजी)

प्रवासन अर्थनीति – अर्थव्यवस्था का अतुल्य इंजन

World bank's migrationAnd develpment brief report, 2019के अनुसार भारत पिछले तीन वर्षों(2016, 17 और 18) स विश्व का सर्वाद्धिक रेमिटेंस प्राप्तकर्ता (लगभग +65 बिलियन) देश बना हुआ है। जिसका श्रेय इसके 17.5 मिलियन डायस्पोरा समुदाय को जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी समुदाय है। भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा देश मे प्रेषित की जाने वाली मुद्रा भारतोय बाजार को विदेशी बाजार के समक्ष मजबूत और मानकीकृत बनाकर रखती हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था में स्वदेशी प्रवासियों का भी अतुल्य योगदान है, शहरों में कार्यरत प्रवासी मजदूर अपनी कमाई का निश्चित भाग गांव में निवासित अपने परिवारों क भरण पोषण हेतु भेजते हं। जो ग्रामीण निवेश और मांग को बना कर रखती हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे बीमारू राज्यों की अर्थव्यवस्था को ईंधन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुम्बई,अचेन्नई जैसे शहरों में कार्यरत इनके प्रवासी मजदूर प्रदान कर रहे होते हैं।

कोरोना संकट ने पहली बार हमें इस प्रवासी अंकगणित की और सोचने को मजबूर किया हैयजिसका अब तक हम कृतघ्नता से उपभोग कर रहे थे। विदेश से अंतरराष्ट्रीय प्रवासी और शहरों से ग्रामीण मजदूरों का गृहध्मूल स्थान को प्रवासन (प्रतिकूल प्रवासन) भारतीय अर्थव्यवस्था के अतुल्य इंजन में शिथिलता ला देंगी, जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की गति और दिशा दोनो को बाधित करेंगी।

प्रवासन राजनीति – दूरदर्शी एव कल्याणकारी नीतियों का अकाल

नीति के स्थान पर राजनीति ,भारतीय रजनीति की परंपरागत पहचान हैय जो जन कल्याण एवं उत्थान को बाधित करती हैं। प्रवासी– प्रवासन समस्या भी इस राजनीतीकरण का शिकार रही है। भारत मे प्रवासी व्यवस्था ब्रिटिश काल से संचालित हैय जो अमानवीय नियमो पर आधारित थी। सवतंत्रता पश्चात, भारतीय संविधान ''इसके सभी लोगो को सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय'' का आश्वासन देता है। गरिमापूर्ण जीवन का मौलिक अधिकार और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद –41 एवं 42 अंगीकृत किया गया।

परन्तु कोरोना काल ने समस्त संवैधानिक एव वैधानिक नियमो को प्रवासियों के संदर्भ में शून्य दिखाया। ज्ञात होता है कि ब्रिटिश काल की शोषण पद्धति पर ही प्रवासी वर्ग 21वी शताब्दी में भी कार्यरत हैं। वर्तमान में एकमात्र प्रवासी एक्ट– 1979 का प्रवासी मजदूर (रोजगार विनियमन एवं कार्य स्थिति) अधिनियम भी अपनी सार्थकता और शक्ति खो चुका है। 17वी लोकसभा मे श्रमिक कानून से संबंधित अनेको नियमों को संगठित करने पर संसद मे बिल प्रस्तुत किया गया हैय जिसकी अंतदृष्टि और अवस्थिति दोनो ही मजबूत होनी चाहिए।

भावी संभावनाएं एवं सरोकार– ग्रामीण स्वराज एवं शहरी सर्वोदय

''ज्ञानी व्यक्ति आपदा को अवसर मे बदलकर इतिहास बना देता है'' कोरोना काल को भारतीय सरकार और समाज दोनो द्वारा इसी दृष्टिकोण से लेना चाहिए। इस संकट ने हमारी समस्या और सुभेद्यता को दर्पित किया हैय अन्धाधुंध शहरीकरण, पिछड़ते गांव, बढ़ती जनसंख्या, अति

गरीबी इत्यादि समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालिक एवं बहुउद्देश्यीय नीतियों की आवश्यकता है।

गांधी जी की ष्ग्रामीण स्वराज ष्की संकल्पना प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर एव आत्मसंपन बनाने पर बल देती है (समुंद्रिक वृत्त सिद्धांत)। भारत सरकार द्वारा गांधी जी के इस स्वप्न पर निवेश करने का समय आ गया हैय जिसमे गांवो को शहरों के समतुल्य अवसर और संसाधन प्रदान किये जायें ताकि गांव से शहरों की और विवशताबद्ध प्रवासन शून्य हो।

दूसरा कदम शहरीकरण के मॉडल में नवोन्मेष लाने की है। स्मार्ट शहर के साथ हमारे शहर सर्वोदयी भी होने चाहिएय जिसमे पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के भी अधिकार और आवश्यक्ता सुनिश्चित होय शहर प्रवासियों का परिवार बनें।

संक्षेप में, ग्राम स्वराज– शहरी सर्वोदय की अवधारणा भारत के संतुलित विकास को बढ़ायेंगी य जिससे भारत– इंडिया का अंतर समाप्त होकर सर्वोदय कल्याण सुनिचित होंगे। जिससे भविष्य में देश प्रवासी समस्या पर पुनः पश्चताप ना करे।

♦♦♦♦♦

7

भारत में प्रवासियों की स्थितिः एक मौलिक विशलेषण

चित्रा राजौरा

शोधार्थी, पीएचडी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

भारत सबस प्राचीन सभ्यताओं में से एक हैं। प्राचीन समय से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रो से व्यापारियों, छात्रों, रिसर्चर और योद्धाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा हैं। तत्पश्चात, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक विकास के मद्देनजर भारत में प्रवास की प्रकिया में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई हैं। हालांकि भारत के दिल्ली और बम्बई में सबसे अधिक प्रवासी वास करते है। जिसके पीछे रोजगार, व्यापार, शिक्षा, विवाह, जन्म के बाद स्थान–स्थानातंरण, गृहस्थी के साथ स्थान–स्थानातंरण और अन्य आदि है (भारत 2011 सेन्सस)। वर्तमान संदर्भ में, भारत में कोरोना वायरस (COVID–19) महामारी के कारण भारतीय प्रवासियों को चुनौतियों का सामान करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। कोई यह भी नहीं जानता कि क्या सरकारों के पास महामारी से लड़ने के लिए कोई उचित खाका है और प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता देने की योजना और मौजूदा सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में किस–प्रकार सुधार की आवश्कता है आदि।

इस प्रकार, प्रवासन एक गतिशील और अस्थायी प्रक्रिया है। जिसके पीछे न केवल आर्थिक हित है बल्कि तोदारो मिचेल (1969) द्वारा वर्णित आय–अंतर के अवाला अन्य "पुल–पुश" के अंतर्गत अन्य कारक बताएं है जो प्रवासन को प्रोत्साहित करते है। पुश– कारक के अंतर्गत विशेषकर रोजगार को कमी, नागरिक संघर्ष (युद्ध, राजनोतिक और धार्मिक उत्पीड़न) और पर्यावरण समस्या (प्राकृतिक आपदा के कारण जिससे लोगो की धन, घर और नौकरियों का नुकसान आदि) उद्धरण के लिएय "अंतरराष्ट्रीय आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (2020) (आईडीएससी) के अनुसार 2019 में भारत में आपदाओ के कारण 24,00,000 प्रवासी प्रभावित हुए है क्योकि मुख्यरूप से बाढ़ एवं तूफान, सुखा क्षेत्र (68 प्रतिशत) भूकम्प क्षेत्र (60 प्रतिशत) तथा (75 प्रतिशत) तटीय हिस्से चक्रवाती एवं सुनामी सम्भावित क्षेत्र है। पहचान व जातीयता के बीच संघर्ष के कारण 28 लाख लोग आन्तरिक रूप से प्रवासन करते है। इसमे संघर्ष और हिंसा के कारण

लगभग 4,48,000 लोग विस्थापित होते है। जिसमे विश्व स्तर पर भारत का स्थान तीसरा है।" आधुनिक काल वैश्वीकरण का है। जिसके कारण श्रम–प्रवास में जबरदस्त बदलाव और विविधता देखने को मिली हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम प्रवासन 2015–2020 में कुल 2.8 मिलियन (सालाना) वृद्धि हुए है। जबकि यह 2005–2010, 3.4 मिलियन की तुलना में कम था। इसी प्रकार भारत में आन्तरिक–बाहरी श्रम प्रवासन दर में भी लगातार वृद्धि को दर्ज किया गया है। 2019 में 8 प्रतिशत की दर से 368,048 से वृद्धि हुई थी।

वही भारत में 2020 में कोरोना वायरस (COVID–19) की महामारी के चलते आन्तरिक–श्रम प्रवासी भारत में लगभग 40 मिलियन, 50,000–60,0000 प्रवासी विकसित क्षेत्र (शहरी) से अविकसित क्षेत्र (गामीण) की गाति कर रहे है। क्योंकि आज भारत में कोविड–19 महामारी के कारण प्रवासी श्रमिको को अपने रोजगार, रहन–सहन, स्वास्थ्य, तथा शिक्षा क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का समाना करना पड़ रहा है। इस दौरान, श्रमिक कल्याण पर ध्यान देने के लिए मंत्रिस्तरीय पैनल द्वारा कई सुझाव सुझाएँ गए है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रवासी कार्यकर्ता को प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत करके अपने कार्यस्थल पर कौशल चिकित्सा सुविधाओ का उपयोग करने में सक्षम हो पायेंगे, साथ ही श्रमिको की राहत के लिए आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के तहत "प्रवासी श्रमिक कल्याण कोष" व "आत्मनिर्भर अभियान" की घोषणा की जिसमे राष्ट्रिय रोजगार नीति को तैयार किया गया है।

भारत की कुल आबादी 1380,004,385 जोकि विश्व का 17.7 प्रतिशत हिस्सा है। भारत सबसे बड़ी आबादी होने के साथ–साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। भारत मे आन्तरिक प्रावासियो की संख्या 30 प्रतिशत है जिसमे 7.8 (2011 **India Census**) मिलियन लोग काम, रोजगार और व्यवसाय के कारणों से ग्रामीण क्षेत्रो से शहरी की और आते है। उनका भारत की सकल घरेलु उत्पाद में 10 प्रतिशत सहयोग हैं (**UNESCO Report**)।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम प्रवास और आन्तरिक–प्रवासन के प्रबंधन के लिए भारत हर स्तर पर पहल करता आया है। भारत द्वारा राष्ट्रिय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। जैसे वर्तमान में, भारत की महत्वकांक्षा को पहले से ही सार्क क्षेत्रोय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ) देशों के लिए एक "कोविड–19 आपातकालीन निधि" बनाने की घोषणा से देखा जा सकता है। इसके अलावा, "डब्ल्यू.एच.ओ. इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटिजी 2019–2023" तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व अंतर्राष्टोय प्रवासन संगठन में प्राथमिकताओं का संरेखण भारत को संगठन की सफलता में प्रमुख रूप से कार्य करता आया है।

हालाँकि, कई ऐसे सुझाव है जो भारत सरकार द्वारा उठाने चाहिए जैसे भारत द्वारा प्रवासियों के लिए नए अवसरों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा सुसंगत और नीतिगत ढांचा विकसित करना चाहिए जैसे की पंच वर्षीय योजनायें, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन तथा नगर विकास योजनाए आदि। प्रवासियों के लिए मजदूरी के मनको को तय किया जाये, सार्वजनिक सेवाओ सरकारी कार्यक्रमो में उचित प्रकार के लक्ष्यो को शामिल किया जाए। तीन स्तर पर (अंतर्राज्योय, जिला स्तर, पंचायत स्तर) प्रवासी मजदूरों के हित में समितियों की स्थापना की जाए। प्रवासीयो के लिए ऐसी संवेदनशील और प्रोत्साहित और श्रम कानूनों का संरक्षण निति का निर्माण किया जाये।

1948 न्यूनतम मजदूरी कानून, समान पारिश्रमिक कानून 1976, श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून 1923 कानून, तथा भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कानून 1996, अंतर्राजीयय पलायन कामगार कानून 1979 असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 आदि को आंशिक रूप से संशोधित किये जाने की आवश्कता को ध्यान में रखना चाहिए। भारत के प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा 2020 में प्रवासियों के लिए आर्थिक स्तर पर सुधार लाने और उसके विकास के लिए आर्थिक सहायता की धोषणा की। जिसके परिणामस्वरूप भारत की वित्तीय मंत्री निर्मला सिथारंमन द्वारा 3.16 लाख करोड़ की आर्थिक सहायता की तथा गरीबों के लिए मुफ्त– राशन के वितरण घोषणा की आदि

प्रवासी मजूदर जो गरीब तबके से आते है उनके लिए सरकार को विकास की रणनीतिया अपनाकर उनके लिए न्यूनतम– व्यवस्था क्षेत्रो में टिकाऊ आजीविका के अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिए जैसे मनरेगा कार्यक्रम को अधिक सुगम रूप से संचालित किया जाना चाहिए। गैर–सरकारी संगठन (राजस्थान में लोक जुम्बिश परिषद, उड़ीसा में एंड इट एक्शन, अमेरिका इंडिया फाउंडेशन तथा महाराष्ट्र में जनार्थ और गुजरात में सेतु आदि) और स्थानीय प्रशासन द्वारा नए तरीको को अपनाना और फैलाना चाहिए ताकि प्रवासी श्रमिको को राज्य और जिला स्तर पर कार्य और नितियों को सुगम बनाया जा सके। प्रवासी क्षेत्र में उचित रूप से शोध के दायरे को बढाया जाये ताकि सरकार द्वारा सटीक आंकड़ो और पंचीकरण को सुगम से संचालित किया जा सके (राजस्थान श्रमिक विभाग के सहयोग से गैर–सरकारी संगठन आजीविया ब्यूरो किया जाता है)। अंतरू राजनितिक नेताओ को "प्रवासीयो के राजनीतिकरण" की नीतियों से ऊपर उठकर एकता– सहयोग के साथ नीतियों का गठन करना चाहिए।

♦♦♦♦♦

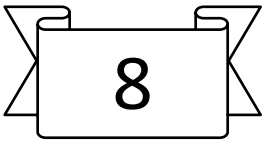

8

कोरोना संकट में मजदूरों के समक्ष चुनौतियाँ

डॉ सीमा माथुर

सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, कालिंदी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

जब हम मजदूरों की स्थिति की परिकल्पना करते हैं तो हमें आलीशान चमकते शहरों के बीच सड़कों के किनारे बसी मलिन बस्तियों में मजबूर मजदूरों के चेहरे नजर आते हैं। चाहे वह धारावी की बस्तियां हो या दिल्ली की झुग्गी– झोपड़ियां। जिनमें शहर और स्मार्ट शहर के तहत मुख्य सुविधाओं की बात तो दूर बेसिक सुविधाएं भी नजर नहीं आती हैं। कहीं आवास, पीने योग्य पानी, शौचालय, बिजली, और स्कूल न जा पाने की समस्या की समस्या है तो कहीं जनसंख्या वृद्धि, महिलाओं की समस्याएं, बाजार की समस्या और सबसे बड़ी रोजगार पाने की समस्या। इनके आलावा वाहनों की बढ़ती संख्या, फैक्ट्रियों से निकलता जानलेवा धुंआ, कारखानों से खतरनाक गैसों का रिसाब, ब्व2 की मात्रा में बढ़ोतरी, फेफड़ों के रोग, सांस संबंधी, हृदयाघात जैसी बीमारियों से जूझते ये लोग।

इस कोरोना महामारी के दौर में आज जब हम इन गरीब मजदूरों को देखते हैं तो कोविड–19 की मार इन्हीं पर सबसे ज्यादा पड़ती दिखाई देती है जिनके सामने उपर्युक्त समस्याओं के साथ ही हजारों चुनौतियां और मुंह बाए खड़ी हैं। हालाँकि हम सभी इस समय स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन क कारण जहां सब कुछ बंद हो गया, मजदूरों का काम धंधा छूट गया तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी के नाम पर उन्हें काम से निकाल दिया गया। पैसे नहीं है तो मकान का किराया भर नहीं सकते और किराया नहीं भर सकते तो मकान में भी नहीं रह सकते। तो बेघर हाकर लाखों मजदूर अपने गांव को लौटने को मजबूर हो गए। और चल दिए सड़कों पर पैदल ही हजारों मील दूर बिना किसी यातायात की सुविधा और खाने–पीने की व्यवस्था के असहाय बेबस असहनीय पीड़ा के साथ।

एक ओर जहां एम.एस.एम.ई. और कॉटेज इंडस्ट्री को बचाने के लिए करोड़ों रुपयों के बेलआउट और स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की गई तो वहीं दूसरी ओर श्रम कानूनों में अनेकों बदलाव किये गए है जो पूर्णतया मजदूरों के हक में नहीं है और हजारों श्रमिक भूख से मरने को

मजबूर। एक ओर जहां 64 विमानों से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया तो वहीं दूसरी ओर लाखों श्रमिक सड़कों बिना किसी परिवहन सुविधा के पैदल चलने को मजबूर। धन–जन खातों के माध्यम से महिलाओं के लिए 500 रूपये की घोषणा कितनी व्यवहारिक है? क्या इसमें 4 लोगों के परिवार का 1 महीने तक गुजारा संभव है? ऐसी स्थिति में समानता के अधिकार का साफ–साफ उल्लंघन नजर आता है क्योंकि समाज के कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है।

इस महामारी में ज्यादातर असंगठित क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो गए हैं जिसका प्रभाव महिलाओं श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर पड़ा है। इन यूएन रिपोर्ट के अनुसार, श्रम के कार्यों में 63 प्रतिशत महिलाएं लगी हैं जिनमें से 81 प्रतिशत से ज्यादा असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं जैसे कि पापड़ बनाना, बीड़ी बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, निर्माण कार्यों में मजदूरी करना आदि। ऐसे समय में उनके लिए स्वास्थ्य लाभ ले पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस कोरोना काल में महिलाओं पर घरेलू हिंसा के मामले भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। एन.सी.आर.बी. के अनुसार, "प्रत्येक 4 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है।" महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़, अपमान, घरेलू हिंसा आदि समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहते हैं, परंतु समाज पर इसका प्रभाव नगण्य रहता है। यहां तक कि देवदासी और जोगिनी जैसी कुप्रथाएं अभी भी मौजूद है, जो धर्म के नाम पर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देती हैं।

इस कोरोना संकट में जहां एक ओर आई.टी. सेक्टर बहुत तेजी से उभर रहा है और लॉकडाउन में वेबिनार, ऑनलाइन क्लासेस बहुत तेजी से संभव हो पा रही है। लेकिन इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों खासकर बालिका शिक्षा पर नकारात्मक पड़ा है जो संविधान के अनुच्छेद 16 के समान अवसर के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। क्योंकि अभी तक केवल 27 प्रतिशत जनसंख्या की ही पहुंच इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लेपटॉप आदि तक हो पाई है। केवल शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक स्थिति, आर्थिक लाभ और राजनीतिक स्वतंत्रता तथा समानता को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा में भी सभी की भागीदारी आवश्यक है। कोरोना संकट के चलते वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसमें भी काम उन्हीं को मिलेगा जिनके पास इंटरनेट की सुविधा होगी। अतः फिर से महिलाएं और श्रमिक वग बाजार से बाहर हो जाएगा। अभी ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात भी कही गई है और अंतिम वर्ष या बोर्ड की परीक्षा को छोड़कर बाकी परीक्षाएं लिए बिना ही आगे प्रमोशन करने की घोषणा कर दी गई है।

कोरोना का यह संकट जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सभी को खासकर वंचित वर्ग की शिक्षा तक पहुँच बहुत ही आवश्यक है ताकि उनकी भी शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसी स्थिति में सरकार को विशेष रुप से मजदूरों के समक्ष विद्यमान समस्याओं को कम करने और चुनौतियों से निपटने का प्रयास करना चाहिए ताकि संविधान मं वर्णित समानता और स्वतंत्रता का लाभ सभी को समान रुप से मिल सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना चरितार्थ हो सके।

जिस शहर को बसाया तुमने

बेघर कर दिया उसी ने तुम्हें

जिन कारखानों फैक्ट्रियों को दिन ऊंचाइयां तुमने

जमीन पर लाकर पटक दिया उसी ने तुम्हें...

जिस शहर में आए थे बेहतर जिंदगी का सपना लिए

चकनाचूर कर दिया उसी ने तुम्हें

जिस शहर को बसाया तुमने बेघर कर दिया उसी ने तुम्हें

♦♦♦♦♦

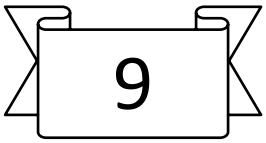

प्रवासी मजदूरों का लैंगिक परिप्रेक्ष्यः स्वदेशी से विदेशी

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत में कोविड–19 के चलते होने वाले लॉकडाउन में कुछ ही क्षण में एक भयानक सन्नाटे में जाग गया। जहां अगली सुबह सड़क पर और स्थानीय चाय की दुकानों पर अब कोई नहीं था जहां कारखाने के कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और ऑटो–रिक्शा चालक मण्डली बंद थे। तालाबंदी शुरू होने से पहले श्रमिकों के कई वैन लोड को कारखाने के परिसर से बाहर ले जाया गया था। फल, चाय और नाश्ते बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर सब छोड़ चुके थे। सभी पुलिस बैरिकेड्स थे, जिसमें अधिकारी किसी भी राहगीर को रोकते और पूछताछ करते थे। जहां भारत की वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने अब, सभी स्वयं सहायता समूहों की सभी महिला सदस्यों को R-500 प्रति माह नकद भुगतान और भारत के रोजगार गारंटी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वेतन में वृद्धि सहित कई उपायों की घोषणा की है।

केरल, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु में राज्य सरकारों ने भी संकट के दौरान सामाजिक सुरक्षा उपायों का विस्तार किया है। तमिलनाडु में, कारखाने के श्रमिक – उनमें से कई अन्य राज्यों के प्रवासियों, विशेष रूप से उत्तरी भारत के – चावल, दाल, तेल और चीनी मुफ्त में प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ R&1,000 के नकद समर्थन के लिए अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए अगले दो महीने रिक्शा और टैक्सी चालकों और निर्माण श्रमिकों को भी इन उपायों तक पहुंच प्राप्त होगी।

देशी से विदेशी

भारत के 1.3 बिलियन लोगों में से आधे खाद्य असुरक्षित हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच नहीं है। भारत की अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लगभग 60þ गरीब लोग भी एनीमिक हैं। इसका मतलब यह है कि कुल लॉकडाउन, जबकि यह कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है, भोजन और पोषण पर एक महत्वपर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है और जबकि लॉकडाउन की प्रारंभिक रिपोर्ट

शहरों और शहरी केंद्रों पर रही है, जहां मामलों की रिपोर्ट की गई है, ग्रामीण संदर्भ के बारे में बहुत कम जानकारी है। परंतु इन सब कारणों के कारण अत्यधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र प्रवासी मजदूर और श्रमिकों का है जिसके कारण वर्तमान की स्थाति विभाजन के स्थिति जैसी प्रतीत होती है क्योंकि जहां पहले हर क्षेत्र का मजदूर भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकता था रह सकता था रोजगार प्राप्त कर सकता था परतुं वर्तमान समस्या ने इसे अत्यधिक जटिल बना दिया है क्योंकि आज समस्या भारत–पाकिस्तान विभाजन जैसी प्रतीत होने के साथ विदेशी जैसी भावना घर करने लगी है जिसका सबसे बड़ा कारण राज्यों की सरकारों द्वारा लिया जाने वाला वह निर्णय है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अन्य किसी राज्य में अन्य राज्य का कोई मजदूर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए निर्देशो में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी अन्य राज्य का व्यक्ति दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती, यहां तक की रहने और रोजगार के लिए भी प्रवेश निषेध है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने निर्णय बोडर की सीमाओं को सील करते हुए स्पष्ट किया कोई भी अन्य राज्य का नागरिक बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाएगा, और इस प्रकार की अनुमति के लिए अधिकतम राज्यों के द्वारा ई–पास को लागू किया है जो यह महसूस कराते है कि अब अन्य राज्यों की की तरफ रूख करने हेतु आपको जिस प्रकार विदेशों में जाने के लिए पासपोर्ट, वीज़े के आवश्यकता होती है उसी प्रकार भारत के राज्यों में एक राज्य से अज्य राज्य में प्रवेश के लिए ई–पास की आवश्यकता होगी।

रीढ़ के रूप में पुरूष

पुरूष मजदूरों को जहां इस लॉकडाउन के चलते रोजगारों से हाथ धोना पड़ा, जो अपने परिवार के पेट पूजा के लिए अन्य राज्यों में निवास करते थे वह अब अपने राज्य की ओर उन्मुख बेरोजगार है जिसके कारण शिक्षा, अर्थव्यवस्था, भूखमरो, बिमारी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहा जहाता है पुरूष एक परिवार की रीढ़ होता है यदि वह रीढ़ टूट जाए तो पूरी शरीर खराब हो जाता है और यदि स्थिति अब परिवारो की बन चुकी है जहां खाने के लिए भोजन तक जुटा पाना एक कठिन परिस्थिति को जन्म दे रहा है।

महिला और पारिवारिक कर्तव्य

वहीं दूसरी ओर मजदूरों में विशेष रूप से महिलाओं पर यदि ध्यान केंद्रित किया जाए तो महिलाएं पूरे दक्षिण एशिया में कृषि क्षेत्र का एक अभिन्न अंग बन जाती हैं, और अक्सर कृषि

कार्यबल का बहुमत बना लेती हैं, तो उन्हें अक्सर कम या बिना मजदूरी के और खराब परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर भी किया जाता है। अपने परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हे यह स्वीकारना होता है। हालांकि, उनके योगदान को घरों और समुदायों की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए केंद्रीय के रूप में देखा जाता है, जो काम वे करते हैं वे शायद ही कभी उन आरोपों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए, पीक रोपण और कटाई के मौसम के दौरान महिलाओं के कृषि कार्य उन्हें विशेष रूप से खराब बनाते हैं। यह उन्हें घरेलू और देखभाल के काम के लिए बहुत कम समय देता है, जिससे अपर्याप्त चाइल्डकअर और खराब स्वास्थ्य होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत में महिलाओं पर तालाबंदी और इसके संभावित प्रभावों के बारे में तीन मुख्य चिंताएं सामने आती हैं– सबसे पहले, महिलाओं को भोजन खरीदन के लिए प्राथमिक ज़िम्मेदारी निभानी होगी, साथ ही अपने घरों के लिए इसे तैयार करना होगा। राशन की आपूर्ति करने वाली नामित दुकानों से आपूर्ति प्राप्त करना महिलाओं की जिम्मेदारी होगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मुफ्त आपूर्ति वितरित करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ क्या होंगी, खाना पकाने के ईंधन, कुछ सब्जियों और मसालों और घरेलू रेंट और बिलों का भुगतान करने के लिए धन की भी आवश्यकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में एक परिवार की जीविका को चलाने का कार्य केवल पुरूष करे यह संभव नहीं हस परिवार के सुचारू रूप से चलने में स्त्री, पुरूष और राज्य सरकार तीनों का अहम योगदान होता है जहां यह तीनों एक त्रिकोण की भांति कार्य करते है जहां एक भी रेखा का संतुलन बिगड़ने दो अन्य रेखाएं असंतुलित हो जाती है और इस लॉकडाउन क कारण परिवारों में असंतुलन अधिक देखने को मिल रहा है जिसके कारण हर राज्य का हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। क्योंकि रोजगार का संबंध श्रमिको से जहां रोजगार नहीं वहां श्रमिक नही और जहां श्रमिक नहीं वहां रोजगार भी नहीं हो सकता। दूसरी ओर जहां घरों से रोजगार समाप्त होता जा रहा ह उसी प्रकार जातिवाद और महिलाओं के प्रति शोषण में भी वृद्धि देखने को मिली है, जिस प्रकार सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

♦♦♦♦♦

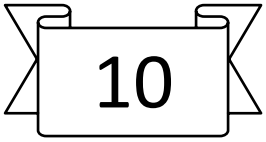

10

प्रवासी मजदूर व रोजगार

प्रियंका बारगल

शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, (म.प्र.)

हितेन्द्र बारगल

सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, गुनौर, जिला पन्ना, (म.प्र.)

भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। आज विश्व के परिदृश्य में अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो हमें ज्ञात होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति के आधार पर पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसी के साथ जैसा की ज्ञात है कि कई देशों में कुछ व्यक्तियो का बोलबाला होने के कारण वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही समस्त देश की पूंजी पर नियंत्रण रहता है। वहीं दूसरी ओर चीन जैसे देशों में साम्यवादी सरकार का नियंत्रण है स किंतु भारत ने हमेशा से संतुलन व "वसुधैव कुटुंबकम" की परंपरा का निर्वहन करते हुए मध्य मार्ग अपनाया व मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें अर्थव्यवस्था का कुछ भाग कुछ व्यक्तियों के हाथों में तथा कुछ भाग सरकार के नियंत्रण में होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के पांच प्रमुख साधन होते हैं यथा, भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी, व संगठन। इनमें से भूमि तो स्थिर होती है, जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधन है, जिसकी मात्रा को हम अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर सकते, साहसी व संगठन, प्रबंधन की विषय वस्तु है, किंतु श्रम व पूजी में से पूंजी भी बहुत सीमा तक उद्यमी के निर्णय पर निर्भर करती है, और अंत में श्रम ही उत्पादन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, आज इस महामारी के समय में सबसे ज्यादा दुखी व परेशान भी वही श्रम का प्रतीक मजदूर ही है।

हमारी अर्थव्यवस्था में हम जिस दो समस्याओं की सबसे ज्यादा बात करते हैं वह है, गरीबी व बेरोजगारी। देखा जाए तो यह दोनों समस्याएँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम बेरोजगारी को समाप्त कर दे तो गरीबी स्वतरू समाप्त हो जाएगी। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इस महामारी के समय में, अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो वह यही मजदूर वर्ग ही है। वैसे अगर संबंधित राज्य सरकारों की घोषणाओं को देखे तो, उन्होंने मजदूरों के लिए

बड़ी–बड़ी योजनाओं की घोषणा अवश्य की थी, पर वह कोरी कागजी कार्यवाही ही बन कर रह गई, और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े राज्यों से जिस तेजी से प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है, उसे देखते हुए सरकारी योजनाओं का कच्चा चिट्ठा हमारे सामने किसी विभीषिका से कम नहीं दिखता। राष्ट्रीय राजमार्गों पर इन मजदूरों के पंजों के निशान जैसे कुछ और ही कहानी बयां करते हैं, एक फर्जी संदेश से जिस तरह से मुंबई में बस स्टैंड पर मजदूरों की हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वह संबंधित राज्य सरकार के वादों को खोखला साबित करने के लिए पर्याप्त है। यह मजदूर कई दिनों तक भूखे रहने के बाद वापस अपने–अपने गाँवो की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा बसो तथा ट्रेनो की भी व्यवस्था की गई, जो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है।

इतने निराशा के वातावरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए उठाए गए कदम आशा की एक किरण जगाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग आठ लाख प्रवासी मजदूरों का नामांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा मजदूरों को 93 अलग–अलग वर्गों में नामांकित किया गया है, इतना ही नहीं वरन उनके लिए एक नए आयोग का भी गठन किया गया है। इसके अलावा कोरोना से पीड़ित होने की आशंका की वजह से मजदूरों के क्वॉरेंटाइन होने पर उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जा रही है । संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में मजदूरों को खपाने का निर्णय लेते हुए, कम से कम पांच लाख मजदूरों को रोजगार देने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आती है। इस कार्य हेतु मजदूरों का स्किल–डाटा भी तैयार करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात ,तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर व मध्यप्रदेश में भी, मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जा रही है । इनके अलावा मजदूरों की पेंशन और बीमा की भी व्यवस्था की जा रही है। देखा जाए तो वर्तमान केंद्रीय सरकार इस महामारी के समय हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। अपने द्वितीय बीस लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों की प्रगति व आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है।

अंत में निष्कर्ष के रूप में यही बात सामने आती है कि, इतने सारे प्रयासों को अगर देखा जाए, तो यह प्रथम दृष्टया तो बहुत लुभावने लगते हैं, पर हकीकत यह भी है कि इतनी बड़ी संख्या में असंगठित मजदूरों का डाटाबेस बनाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, इसके अलावा

वर्तमान में जिस तरीके से मनरेगा को लेकर राजनैतिक दलों में खींचातानी चल रही है, तथा सभी अपना श्रेय लेने के लिए उत्सुक नजर आते हैं, इस बात का भी निदान करना आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात है कि मजदूरों के प्रयास के लिए सभी को मिलजुलकर संगठित होकर एक साथ प्रयास करने की आवश्यकता है ना कि आपसी राजनैतिक तनातनी की। मजदूरों के लिए जो भी योजना बनाई जा रही है उनका आवश्यक प्रचार–प्रसार भी आवश्यक है,अन्यथा मजदूरों को इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि उनके लिए क्या योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देना भी सुनिश्चित हो, तथा इस हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को भी दूरस्त करने की जरूरत है, ताकि उसमें भ्रष्टाचार ना पनपने पाएं, तथा सही व्यक्ति को सही मुआवजा मिल सके।

♦♦♦♦♦

11

प्रवासन और उत्तर बिहार

निशा कुमारी

शोधार्थी, पीएचडी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

वैसे तो धरती पर मानव जीवन का इतिहास प्रवासन की एक लम्बी श्रृंखला का प्रतिफल है। परन्तु वर्तमान कोरोना काल के परिणामस्वरूप देश में घोषित लॉकडाउन की स्थिति के उपरान्त देश के विभिन्न राज्यों से गाँवों की तरफ होने वाले रिवर्स पलायन की स्थिति ने एक बार पुनः प्रवासी मजदूरों की पलायन की पीड़ा को पूरे देश के सामने ला खड़ा किया है। हालाँकि यह प्रवासी और प्रवासन की समस्या के साथ ही भारत में विकास के मॉडल के प्रश्न को भी राष्ट्रीय पटल पर लेकर आता है। इस लेख में उत्तर बिहार के विशेष सन्दर्भ में इस प्रश्न को विस्तार से देखने तथा समझने का एक प्रयास किया गया।

बिहार आज देश के विभिन्न राज्यों जैसे मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, दिल्ली में खेतों तथा कारखानों में मजदूरों की पूर्ति का केंद्र दिखाई देता है। हालाँकि बिहार से मजदूरों का पलायन कोई नई घटना नहीं है अपितु औपनिवेशिक शासनकाल में भी बिहार से पलायन का सन्दर्भ देख सकते हैं। औपनिवेशिक शासन द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों मुख्यतः बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से मजदूरों की भर्ती की गयी थी जिसे गिरमिटिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने की बात है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से जितने मजदूरों गिरमिटियां व्यवस्था के अंतर्गत दुसरे उपनिवेशों में ले जाये गये उनमे से नब्बे प्रतिशत बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से भेजे गये थे। इस प्रकार जहाँ औपनिवेशिक काल में बिहार मजदूरों के पलायन का एक मुख्य केंद्र बना रहा वही स्वतंत्र भारत में भी बिहार से मजदूरों के पलायन की विशाल संख्या का निरंतर बने रहना इसे विचारणीय विषय बना देता है।

अपितु बिहार के अनेक क्षेत्रों से मजदूरों के रोजगार तथा जीविकोपार्जन के लिए पलायन की प्रवृति देखी जा सकती है परन्तु यहाँ उत्तर बिहार की विशेष स्थिति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। उत्तर बिहार भारत के अनेक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक है तथा इसका अस्सी प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। अनेकों नदियों के जाल के कारण दरभंगा, सुपौल, कटिहार, सहरसा आदि

जिले प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं। अतः प्रतिवर्ष आने वाली भीषण बाढ़ का डर तथा पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जीविकोपार्जन के साधनों तथा रोजगार का अभाव इस क्षेत्र से लोगों की एक बड़ी संख्या के पलायन का कारण बनता है। अतः यहाँ से पलायन के कारणों तथा प्रकृति को समझने के लिए बाढ़, समाज तथा भारतीय राज्य की बाढ़ सुरक्षा तथा विकास के नाम पर व्यवहार में लायी गयी नीतियों का सम्मिलित अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है।

उत्तर बिहार में बाढ़ तथा विकास के विषय लिखे गये विभिन्न उपन्यास तथा शोध कार्य यहाँ के समाज की मुख्य समस्याओं तथा उनके विश्लेषण को सामने रखते है। जिनमे फनीश्वरनाथ रेणु द्वारा पूर्णिया तथा कोसी क्षेत्र की आंचलिकता को विषय बनाकर लिखे गये उपन्यास मैला आंचल तथा परती परिकथा महत्वपूर्ण है। मैला आंचल (1954) के माध्यम से रेणु ने स्वतंत्रता के बाद के भारत का सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्य का ग्रामीण संस्करण प्रस्तुत किया है तो वहीं परती परिकथा (1957) में उत्तर बिहार में आने वाली बाढ़ को मुख्य विषय बनाकर कोसी तथा उसके तटवर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों की जीवन लीला के अनेक चित्र अंकित किये हैं।

बिहार के इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में होने वाले पलायन के कारणों का पता लगाने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय राज्य ने बिहार की बाढ़ की समाधान किस प्रकार खोजा। गौरतलब है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार की बाढ़ से सुरक्षा हेतु कोसी प्रजेक्ट 1953 को मंजूरी दी गयी जिसके तहत कोसी नदी पर भीमनगर में एक बराज तथा दोनों ओर तटबंध के अतिरिक्त दो नहरे बनाने की नीति को व्यवहार में लाया गया। इसके अतिरिक्त बराहक्षेत्र में बड़े बाँध के निर्माण को भी प्रस्तावित किया गया था जिसका निर्माण नेपाल के साथ सहयोग स्थापित न होने के कारण नहीं हुआ। बाढ़ सुरक्षा के नाम नदी पर निर्मित इन संरचनाओं का निर्माण आज असफल दिखाई देते है और ऐसा लगता है कि इन्होने समाधान से अधिक समस्या को और जटिल ही बना दिया है। तटबंधों के बीच निवास करने वाले लाखों के लिए अब प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका का सामना करना उनकी नियति से बन गयी है। त्बनाधों के अन्दर पानी की प्रवृति में बदलाव से कृषि की पुरानी व्यवस्था में भी नए परिवर्तन आये है जिसने यहाँ की कृषि पारिस्थितिकी को परिवर्तित किया है। उसके अतिरिक कोसी द्वारा अपने मार्ग में बहाकर लायी जाने वाली मिट्टी (गाद) का जमाव नदी के तल को उथला करता है जिससे बाढ़ की विभीषिका लोगों के जीवन में और अधिक घर परती जाती है। ऐसे में लोगों के पास पलायन ही अधिक उपयुक्त रास्ता बचता है। कोसी की बाढ़ को नियंत्रित

करने की राज्य की व्यवस्था बाढ़ से सुरक्षा तो नही दे पाई मगर लोगों को उनके घर तथा जमीन को छोड़कर शहरों को तरफ पलायन करने के लिए जरूर सफल हुई है। इस प्रकार हमारी विकास नीति ने ग्रामीण संसाधनों के बल पर शहरो को चमकाने का काम किया है। गाँवों के उजाड़ने की इस पूरी कहानी को समझने के लिए उत्तर बिहार का कोसी क्षेत्र एक अच्छा बिंदु है। आज गांवों से शहरों की आर प्रवासन नई संस्कृति का निर्माण कर रहा है। प्रवासन की संस्कृति विकास के मार्ग की बजाय जब समस्या बन जाये तो इसका समाधान एक समग्र दृष्टिकोण के साथ किया जाना आवश्यक हो जाता है । पलायन को तब तक कम नहीं किया जा सकता जब तक इसे विकास मॉडल के साथ समग्र रूप में न देखा जाये। वर्तमान विकास मॉडल को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें विशाल समुद्र रुपी ग्रमीण समुदाय के संसाधनों का क्षरण करके शहर रुपी कुछ टापुओ का निर्माण किया जा रहा है।

इस प्रवासित लोगों को ने राज्यों द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जाता कभी महाराष्ट्र से इन्हें बहार निकलने की बात होती है तो कभी किसी अन्य राज्य से। ग्रामीण भारत की इन समस्याओं का समाधान विकास के वर्तमान मॉडल से निकलना अधिक बड़ी समस्या को न्योता देना प्रतीत होता है। विकास की देशज अवधारणा (देश में जन्मा, देशज पद्यति से देश का विकास) की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है जिसमे ग्रामीण आवश्यकता तथा संस्कृति के समन्वय के माध्यम से विकास के मार्ग को निर्धारित किया जाये। इसके लिए गाँधी का चिंतन तथा विकास मार्ग ही उचित लगता है। जब तक गांवों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जायेगा तब तक भारत पलायन के दंश से बच नही सकता। यह चक्र चलता ही रहेगा। हमारे राष्ट्रीय नेता द्वारा आत्मनिर्भर भारत के जिस संकल्प को लिया गया है वह पहले गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास से शुरू होना चाहिए। क्योकि आत्मनिर्भर भारत गाँवों के आत्मनिर्भर होने से बनेगे न कि गाँव का शहरो पर निर्भर होने से।

♦♦♦♦♦

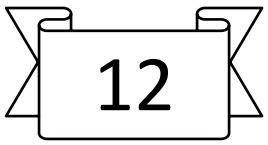

12

कोविड–19: प्रवासी श्रमिक समूह एवं प्रवासन और अभिशासन

बेबी तबस्सुम

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रागैतिहासिक काल से प्रवासन मानव इतिहास का प्रमुख तत्त्व रहा है। प्रवासन किसी भी मानव समुदाय के कामकाज से अविभाज्य है यह उनके सामाजिक–आर्थिक विकास का निर्णायक कारक बन गया है और अपने पूरे इतिहास में मानवता के साथ हर समय उत्परिवर्तित करता है। आधुनिक संप्रभु राज्यों में, स्वैच्छिक प्रवासन को बेहतर जीवन जीने की चाह, आजीविका और अवसरों की तलाश में नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रवास का तात्पर्य मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि कारकों के कारण स्थानांतरण से है। बेहतर आर्थिक अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों की संतृप्ति, युवाओं को बेहतर रोजगार या व्यावसायिक संभावनाओं के लिए शहरी केंद्रों में लोग बड़ी संख्या में आकर्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक संघर्ष, बेहतर शिक्षा या चिकित्सा सुविधाओं की तलाश के लिए पड़ोसी शहरों में जा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की घटना या प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ भी प्रवासन का कारण बनती हैं।

प्रवासियों में वे सभी लोग शामिल होते है जो कुशल और शिक्षित होते हैं जिनके पास जीवन निर्वाह के पर्याप्त संसाधन होते हैं और वे भी जो अकुशल या गरीब होते हैं, दैनिक मजदूरी या कम वेतन पर जीवन निर्वाह करने पर विवश हैं। इसमें वे लोग भी शामिल है जो देश की आंतरिक सीमाओं के साथ–साथ बाहरी देशों में भी प्रवास करते हैं। प्रवासी श्रमिक समूह शहरी आपदाओं और महामारी में सबसे अधिक असुरक्षित हैं। कोविड–19 महामारी के दौरान वे प्रवासी जो गरीब या अकुशल हैं, संकट की स्थिति में प्रभावित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। लॉकडाउन के दौरान काम–धंधा बंद होने की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गाँव की ओर पलायन हो रहा है। यह प्रवासन, सामान्य प्रवासन से एकदम विपरीत है क्योंकि प्रवासन में लोगों का अपनी आजीविका, रोजगार व बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अथवा एक देश से दूसरे देशों में पलायन देखा जाता है। किंतु कोविड–19 के दारान प्रवासियों का शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, गाँवों व अपने मूल स्थानों की ओर भारी मात्रा में

पलायन देखा गया है जिसे विद्वानों ने शरिवर्स माईग्रेशनश की संज्ञा दी है यह देश में बड़े पैमाने पर रिवर्स माईग्रेशन की सबसे बड़ी धाराओं में से एक है।

कोविड संकट काल में प्रवासी श्रमिक समूह के समक्ष उत्पन्न समस्याएं

कोविड–19 ने अखिल भारतीय लॉकडाउन के बाद श्रमिक प्रवासियों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। पूरे देश में 21 दिन की अवधि के लिए 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की गई। सभी राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया। केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया। यह उन सैकड़ों हजारों प्रवासी श्रमिकों के लिए दुरूस्वपन साबित हुआ जो रातों–रात अपनी आजीविका खो बैठे और बेघर हो गए। इन प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली तात्कालिक चुनौतियां भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा, संक्रमित होने या संक्रमण फैलने का डर और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित थी। परिणामस्वरुप उनमें से हजारों लोग विभिन्न शहरो से अपने मूल निवास स्थानों की ओर लौटने लगे। कई लोगों को कोई सार्वजनिक परिवहन न मिलने के कारण अपने गावों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों मील पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा।

जन साहस (2020) द्वारा उत्तर मध्य भारत के 3000 से अधिक प्रवासियों के टेलीफोनिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश श्रमिक दैनिक वेतन भोगी थे और लॉकडाउन के समय 42 प्रतिशत श्रमिकों के पास राशन नहीं बचा था, एक–तिहाई श्रमिकों के गन्तव्य स्थानों पर भोजन, पानी और धन प्रवाह की पहुँच रुक गई, 94 प्रतिशत श्रमिकों के पहचान पत्र नहीं हैं। हालाँकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश,राजस्थान, बिहार और कर्नाटक ने इन श्रमिकों और उनके परिवारों को या तो राज्य की सीमाओं या उनके जिलों तक छोड़ने के लिए विशेष बसों की वयवस्था की है। इस भारी प्रवास के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों पर अराजक स्थिति पैदा हो गई जिससे राज्यों के बीच गलतफहमियां बढ़ गई।

श्रमिकों के प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियाँ

प्रवासी श्रमिक भारतीय अर्थवयवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। यह सर्वविदित है कि महानगरों में कार्य कर रहे श्रमिक अपने गृह राज्य में एक बड़ी राशि भेजते हैं, जिससे इन राज्यों को बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। भारत में आतंरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले श्रमिकों की आय देश की जीडीपी की लगभग 6 प्रतिशत है। वर्ष 1991 से 2011

के बीच प्रवासन में 2.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो वहीं वर्ष 2001 से 2011 के बीच इसकी वाषिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रही इन आँकड़ों से पता चलता है कि प्रवासन से श्रमिकों और उद्योगों दोनों को ही लाभ प्राप्त हुआ। श्रमिकों के रिवर्स माईग्रेशन से देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों में चिंता व्याप्त है। कोविड–19 महामारी के कारण वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया है। परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में वृद्धि होगी श्रमिकों की पूर्ति न हो पाने से उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।

प्रवासी, प्रवासन और अभिशासन

कोविड–19 के प्रसार और इसके आगे के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने लाखों लोगों के जीवन में उथल–पुथल ला दिया जो मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न हैं। इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी में सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौती पीड़ितों तक भोजन, आश्रय और बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति से संबंधित हैं। संक्रमण के प्रसार की जाँच करने के लिए प्रवासियों के बीच सामाजिक दूरी को कैसे बनाएं रखें? बुनियादी स्वास्थय देखभाल और निवारक किट (मास्क, सैनीटाइजर और दस्ताने) कैसे प्रदान की जाये? भारत सरकार ने कमजोर व असुरक्षित समूहों पर लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए 26 मार्च 2020 को गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की। इसके दायरे में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, कृषक, मनरेगा श्रमिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर महिलाएं, बुजुर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जनधन खाताधारक और उज्ज्वला लाभार्थी शामिल हैं।

यह योजना अगले तीन महीनों के लिए 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने अतिरिक्त 5 किग्रा. गेहूँ या चावल और 1 किग्रा. पसंदीदा दालें देने के लिए है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष के धन का उपयोग करने की अनुमति दी गइ ताकि बेघर प्रवासी श्रमिकों सहित जो लोग लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे और जो राहत शिविरों व अन्य स्थानों पर शरण लिए हुए थे, उन तक भोजन, आवास और चिकित्सा देखभाल मुहैया करवाई जा सके। गृह मंत्रालय ने इस संकट के दौर में मकान मालिकों से किराया नहों लेने का आग्रह किया और नियोक्ताओं को अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान कटौती के बिना करने के लिए कहा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने किसी भी आवश्यक वस्तु तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 24×7 निगरानी के लिए एक 'नियंत्रण कक्ष' स्थापित किया।

हालाँकि इस त्रासदी से निपटने के लिए राज्यों के इस भरसक प्रयास में उनका समर्थन करने के लिए गैर–सरकारी संगठन और स्वयंसेवकों ने भी भागीदारी की पहल की है। किंतु फिर भी विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासियों का कोई अनुमान नहीं है। सरकार और गैर–सरकारी संगठन द्वारा प्रदान की गई सहायता से प्रवासियों को थोड़ी बहुत राहत अवश्य मिल सकती है, लेकिन विशाल प्रवासी आबादी को देखते हुए, प्रदान की गई सेवाएं अपर्याप्त साबित हुई हैं।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली–110007